रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1818] नई दिल्ली, सोमवार, मई 21, 2018/वैशाख 31, 1940
No. 1818] NEW DELHI, MONDAY, MAY 21, 2018/VAISAKHA 31, 1940

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2018

का.आ. 2011(अ).—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 के पैरा 39 के साथ पठित पैरा 30 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), भारत के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 827(अ), तारीख 15 मार्च, 2017 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय बोर्ड से परामर्श करने के पश्चात्, कर्मचारी भविष्य निधि के सामान्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए नियोजक द्वारा उक्त स्कीम के पैरा 30 और पैरा 38 के उप पैरा (1) के प्रयोजनों के लिए तारीख 1 जून, 2018 से संदेय प्रशासनिक प्रभारों को प्रत्येक अकृत्यिक स्थापन, जिसका कोई अंशदायिक सदस्य नहीं है, के लिए प्रतिमास के लिए पचहत्तर रुपए की न्यूनतम राशि और अन्य स्थापनों के लिए प्रतिस्थापन पांच सौ रुपए प्रतिमास की न्यूनतम राशि के अधीन रहते हुए, वेतन के 0.50 प्रतिशत (शून्य दशमलव पचास प्रतिशत) जैसा कि उक्त पैराओं में निर्दिष्ट किया गया है, नियत करती है।

2. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह अधिसूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना में अंतर्विष्ट किसी बात का 31 मई, 2018, उस तारीख को सम्मिलित करते हुए, उस अवधि की बाबत संदेय प्रशासनिक प्रभारों जिनके लिए पैरा 1 में निर्दिष्ट अधिसूचना उसी तरह लागू रहेगी मानों उसका अधिक्रमण नहीं किया गया था।

[फा. सं. एस-35012/01/2014-एसएस-II]

आर.के.गुप्ता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2018

S.O. 2011(E).—In exercise of the powers conferred by the Explanation to paragraph 30 read with paragraph 39 of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 827(E), dated the 15th March, 2017, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, after consulting the Central Board and having regard to the resources of the Employees' Provident Fund available for meeting its normal administrative expenses, hereby fixes the administrative charges payable by the employer for the purposes of paragraph 30 and sub-paragraph (1) of paragraph 38 of the said Scheme with effect from 1st June, 2018 at 0.50 per cent (zero point five zero per cent.) of the pay as referred to in the said paragraphs subject to a minimum sum of seventy-five rupees per month for every non-functional establishment having no contributory member and five hundred rupees per month per establishment for other establishments.

2. For the removal of doubts, it is hereby notified that nothing contained in this notification shall affect the administrative charges payable in respect of the period up to and inclusive of the 31st May, 2018 in respect of which the notification referred to in paragraph 1 herein shall continue to apply as if the same had not been superseded.

[F. No. S-35012/01/2014-SS-II]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2018.05.22 18:00:09 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.